को पेश हो।

दि० 5-6-2020

प्रकारान अधिवक्ता उपस्थित।
राज्य प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित बोर्ड का
जयपुर से कर्मचारी की अनुपस्थिति में
पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 20-7-2020 व्यस्त होने से
को पेश हो।

दि० 20-7-2020

यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार के आदेशानुसार आज पेश हुई। अपील उभय पक्षकार उप० वकील वादी साक्ष्य वादी हाजिर नहीं होने से साक्ष्य वादी हेतु समय चाहते हैं। न्यायालय द्वारा न्यायहित में पूर्व में पर्याप्त अवसर देने से यह अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 14-8-2020 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही
रा. गद अ. धारा 88, 188 RTA
श्रीमति जेठीबाई बनाम पदम
प्र.क्र. 96/2012

दि. 14/8/2020

यह पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकरान उप० वकील वादी साक्ष्य वादी हाजिर नहीं आने से साक्ष्य वादी हेतु समय चाहते हैं। न्यायालय द्वारा न्यायहित में पूर्व में पर्याप्त अवसर देने से यह अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 18-8-2020 को पेश हो।

दि० 18-8-2020

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उप० वादी पक्ष की ओर से वकील श्री राजेश कुमार मेघवाल ने हाजिर होकर इस वाद को आगे नहीं चलाने तथा खारिज कराने हेतु नोटपेश किया है। क्या वादी का यह दावा धारा 88, 188 RT Act का वादी द्वारा नोटपेश करने से चलने योग्य नहीं होने व खारिज होने योग्य होने से प्रार्थना नोटपेश में यह वाद खारिज किया जाता है। दोनों पक्षकार हाजिर हैं। पत्रावली पेस्तल शुमार होकर जब्त से कम है।

Notes
Rajesh

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.) 307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:39:58 IST
Reason: SelfAttested